शहरी विकास प्राधिकरणों के लिए आंबटित किया गया, बजट

603. श्री अनन्तराय देवशंकर दवेः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा शहरों के विकास के लिए शहरी विकास प्राधिकरण को आबंटित किए गए बजट का वर्षवार और मद वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के प्रथम पांच विकास प्राधिकरणों के वर्ष वार और मद वार आंबटित बजट क्या है;

(ग) क्या इन प्राधिकरणों ने अब तक लोगों को मूल जन सुविधाएं जैसे पेय जल, रोड लाइट, मल विकासी आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है और इन मदों के लिए आंबटित की गई राशि की वर्तमान स्थिति क्या है और ये सुविधाएं कब तक लोगों को उपलब्ध करा दी जाएंगी?

जल-भुतल परिवहन मंत्री तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन): (क) चूंकि शहरी विकास राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्र सरकार मेगा सिटी नामक एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अलावा, शहरी विकास प्राधिकरण को कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराती। तदनुसार, राज्य सरकारों द्वारा, शहरी विकास प्राधिकरणों को दिए जाने वाले धन के नियतन के बारे में केन्द्रीय स्तर पर कोई सूचना नहीं रखी जाती। मेगा सिटी नामक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा अन्य ऐजेंसियों को प्रदत्त राशि विवरण में दर्शायी गयी है। (**नीचे देखिए**)

(ख) चूंकि मेगा सिटी स्कीम, गुजरात राज्य में लागू नहीं है, इसलिए गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के शहरी विकास प्राधिकरणों को कोई केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

(ग) और (घ) चूंकि पेय जल, सड़क, लाईटें मल निपटान जैसे बुनियादी आय जरूरतों को प्रावधान करना, नगर निगमों / नगर पालिकाओं का काम है, इसलिए सामान्यता नगर विकास प्राधिकरण जनता को ये सुविधाएं मुहैया नहीं कराते। जनता को नागरिक सुविधाओं के प्रावधान हेतु धन का नियतन, राज्य तथा नगर शासनों की नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर किया जाता है। चूंकि शहरी विकास तथा नगर प्रशासन राज्य सरकारों का कार्यक्षेत्र है, इसलिए भारत सरकार ने नागरिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए कोई धनराशि मुहैया नहीं कराई है और न ये बताया है कि गुजरात के शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान कब तक कर दिया जाएगा।

विवरण

मेदा शहरों में आवास एंव विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत प्रदत्त केन्द्रीय सहायता

मेगा सिटी कार्यान्वयन एजेंसी/शहरी विकास प्राधिकरण का नाम	प्रदत्त केन्द्रीय सहायता				
	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	
मैट्रोपोलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण	20.10	16.10	18.08	13.08	--
कलकत्ता विकास प्राधिकरण	20.10	16.10	18.08	13.58	12.40
तमिलनाडु शहरी वित्तीय तथा अवस्थापना विकास निगम	15.10	11.10	17.08	11.98	9.10
हैदराबाद शहरी विकास प्राधिल करण	15.10	11.10	15.58	11.71	9.00
कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास तथा वित्तीय निगम	00.10	20.10	15.08	10. 55	8.40

*10 नवम्बर, 1997 तक